



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 फाल्गुन 1940 (श0)

(सं0 पटना 284) पटना, मंगलवार, 26 फरवरी 2019

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं

26 फरवरी 2019

सं0 11/आ0नी0-I-03/2019-2622—“बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019” की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध करने एवं उक्त अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है :-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**— (1) यह नियमावली “बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण नियमावली 2019” कही जा सकेगी।

(2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा।

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ।** — इस अधिनियम में जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) “नियुक्ति प्राधिकारी/सक्षम पदाधिकारी” से अभिप्रेत है किसी स्थापना में सेवाओं और पदों के संबंध में नियुक्ति करने हेतु सशक्त प्राधिकारी/कोई व्यक्ति जो शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु उत्तरदायी हो;

(ख) “विहित” से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन बनायी गई नियमावली द्वारा विहित और राजपत्र में प्रकाशित;

(ग) “स्थापना” से अभिप्रेत है, राज्य के कार्यकलाप से जुड़े लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों से संबंधित राज्य का कोई कार्यालय या विभाग और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य अधिनियम के अधीन गठित कोई स्थानीय या वैधानिक प्राधिकार;

(2) बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 (बिहार अधिनियम-6, 1935) के अधीन निबंधित कोई सहकारी संस्थान जिसमें राज्य सरकार द्वारा शेयर धारित किया गया हो अथवा जो राज्य सरकार से ऋण, अनुदान तथा साहायिकी आदि के रूप में सहायता प्राप्त करता हो; और

- (3) विश्वविद्यालय तथा इनसे संबद्ध कॉलेज, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय तथा ऐसे अन्य शैक्षणिक संस्थान, जिन्हें राज्य सरकार ने स्वाधिकृत कर लिया हो या सहायता प्रदान करती हो, और
- (4) सार्वजनिक क्षेत्र का कोई प्रतिष्ठान;
- (घ) "सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना" से अभिप्रेत है कोई उद्योग, वाणिज्य व्यापार या पेशा जो निम्न द्वारा स्वाधिकृत/नियंत्रित या प्रबंधित हो :-
- (1) राज्य सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग,
- (2) कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम-1, 1956) की धारा 617, में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी अथवा केन्द्र या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम, जिसमें राज्य सरकार द्वारा समादत शेयर पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से अत्यून शेयर पूंजी लगायी गई हो;
- (ङ) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" से अभिप्रेत है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेन्डम-F.No. 36039/1/2019-Estt. (Res.) दिनांक 19.01.2019 में यथा परिभाषित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई व्यक्ति; तथा जो भविष्य में समय-समय पर यथा संशोधित किया जाय ;
- (च) "भर्ती वर्ष" से अभिप्रेत है पंचाग वर्ष जिसमें वस्तुतः भर्ती/नामांकन की जानी हो;
- (छ) "आरक्षण" से अभिप्रेत है बिहार राज्य में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण;
- (ज) "गुणागुण सूची" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तथा नियुक्ति करने के लिए या शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए लागू आदेशों के अनुसार गुणागुण क्रम से तैयार की गई व्यवस्थित उम्मीदवारों की सूची;
- (झ) "राज्य" में सम्मिलित हैं बिहार राज्य की सरकार, विधानमंडल और न्यायपालिका एवं राज्य के भीतर अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकार एवं सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान;
- (ञ) "परिवार" में सम्मिलित है अभ्यर्थी जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता हो, अभ्यर्थी के माता-पिता एवं 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा पति/पत्नी एवं 18 वर्ष से कम आयु की संतानें;
- (ट) "परिशिष्ट" से अभिप्रेत हैं इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट;

3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सीधी भर्ती एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण के लाभ प्राप्त करने हेतु मानदंड।— (1) ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के लिए किये गए आरक्षण प्रावधानों से आच्छादित नहीं हैं, की पहचान, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में आरक्षण के लाभ के लिए की जायेगी, जिनके परिवार की सभी श्रोतों से कुल वार्षिक आय 8 (आठ) लाख रुपये से कम हो। वार्षिक आय आवेदन करने के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वेतन, कृषि, व्यापार एवं पेशा आदि से होने वाली समस्त श्रोतों से प्राप्त आयों को सम्मिलित किया जाएगा।

- (2) ऐसे अभ्यर्थी को, जिनके परिवार के पास निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की परिसम्पत्ति होगी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा, उसके परिवार की वार्षिक आय चाहे जो भी हो :-
- (i) 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर;
- (ii) एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय प्लैट;
- (iii) अधिसूचित नगरपालिका के अधीन 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड;
- (iv) अधिसूचित नगरपालिका से इतर क्षेत्रों में 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- (3) किसी "परिवार" द्वारा धारित की गई एक अथवा एक से अधिक स्थानों/शहरों में अवस्थित समस्त परिसंपत्तियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण को अवधारण करने हेतु एक साथ जोड़ा जायेगा।
- (4) इस प्रयोजनार्थ पद "परिवार" में वह व्यक्ति सम्मिलित हैं जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता तथा 18 वर्ष से कम आयु के भाई/बहन और उसके पति/पत्नी एवं 18 वर्ष से कम आयु की संतान;

4. प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया।— नियम-3(2) की शर्तों के अधीन अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के एवं विहित परिसम्पत्तियां धारित नहीं करने का प्रमाण-पत्र संबंधित जिलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा संलग्न अनुसूची-I (प्रपत्र-I) में निर्गत किया जायेगा। संबंधित पदाधिकारी द्वारा ऐसा प्रमाण-पत्र निर्गत करने से पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी से एक शपथ-पत्र प्राप्त किया जायेगा, जिसमें अभ्यर्थी के द्वारा यह घोषणा की जायेगी कि उसके

परिवार के पास संबंधित अंचल के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है अथवा कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् भी वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आते हैं। घोषणा प्रपत्र अनुसूची-II (प्रपत्र-II) के रूप में संलग्न है।

5. वैधता।- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय एवं परिसम्पत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा।

6. सत्यापन।- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन नियुक्तियां/नामांकन औपबंधिक एवं अभ्यर्थी द्वारा आय एवं परिसम्पत्ति संबंधित प्रमाण-पत्र के सत्यापन के अधीन होंगे। सत्यापन के क्रम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जाली/गलत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया पाये जाने पर सेवा/नामांकन, बिना अग्रेतर कार्रवाई के, समाप्त कर दिया जायेगा तथा भारतीय दण्ड संहिता के संगत प्रावधानों के अधीन कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

7. विनिमय।- यदि किसी भर्ती वर्ष में या किसी सत्र के नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अधीन आरक्षित कोटि से भरे जाने वाले उम्मीदवार अधिनियम के अधीन विहित आरक्षण प्रतिशत तक उपलब्ध न हों तो बची हुई रिक्तियां/सीटें अग्रणित नहीं की जायेंगी। ऐसी रिक्तियां/सीटें उसी समव्यवहार/नामांकन वर्ष में खुली गुणागुण कोटि के उम्मीदवार से भर दी जायेंगी।

8. रोस्टर।- आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अधीन आरक्षण उपलब्ध करने से संबंधित अनुसूची-III में दिया गया 100 (सौ) बिन्दुओं का आदर्श मॉडल रोस्टर अपनाया जायेगा।

9. कठिनाईयों का निराकरण।- यदि इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो, राज्य सरकार, ऐसा कदम उठा सकेगी या ऐसा आदेश निर्गत कर सकेगी, जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, और जिसे वह कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक समझे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

अनुसूची-I
(प्रपत्र-I)

बिहार सरकार
कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-.....

दिनांक-.....

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पुत्री/पतिगाँव/शहर पोस्ट
ऑफिस थाना अनुमंडलजिला
राज्य पिन कोड के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है,
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख
(आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पति नहीं है :-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लैट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारीजाति के सदस्य हैं, जो
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित नहीं है।

हस्ताक्षर

पदनाम

(कार्यालय का मुहर सहित)

आवेदक का
पासपोर्ट साईज
का अभिप्रमाणित
फोटोग्राफ

अनुसूची-II

(प्रपत्र-II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा पत्र
स्वयं घोषणा पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री/पति.....
गाँव/शहर..... पोस्ट ऑफिस..... थाना..... प्रखण्ड.....
अनुमण्डल..... जिला..... राज्य..... ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन
दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. मैं..... जाति से संबंध रखता/रखती हूँ जो बिहार हेतु अधिसूचित पिछड़ा वर्ग,
अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

2. मेरे परिवार की कुल स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय,पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु.....
..... (शब्दों में) है।

3. मेरे परिवार के पास अंचल के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई
परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग के दायरे में आता हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसंपत्तियों को जोड़ने के पश्चात निम्नलिखित में
से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है-

i.5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे उपर।

ii. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय प्लैट।

iii. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड।

iv. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और
मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा
दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार
पर दिये गये प्रमाणपत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त
कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाणपत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है
उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस संबंध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के
लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

स्थान :-

आवदेक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा नाम।

दिनांक :-

अनुसूची-III

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के आलोक में 100 बिन्दुओं का मॉडल रोस्टर :-

1. अनारक्षित
2. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
3. अनारक्षित (महिला)
4. अनुसूचित जाति
5. अनारक्षित
6. पिछड़ा वर्ग
7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
8. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)
9. अनारक्षित (महिला)
10. अनुसूचित जाति (महिला)
11. अनारक्षित
12. पिछड़ा वर्ग (महिला)
13. अनारक्षित
14. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
15. अनारक्षित (महिला)
16. अनुसूचित जाति
17. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
18. पिछड़े वर्गों की महिला
19. अनुसूचित जनजाति
20. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
21. अनारक्षित (महिला)
22. पिछड़ा वर्ग
23. अनारक्षित
24. अनुसूचित जाति (महिला)
25. अनारक्षित
26. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)
27. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)
28. अनुसूचित जाति
29. अनारक्षित
30. पिछड़ा वर्ग
31. अनारक्षित
32. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
33. अनारक्षित (महिला)
34. अनुसूचित जाति
35. अनारक्षित
36. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
37. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
38. पिछड़ा वर्ग (महिला)
39. अनारक्षित (महिला)
40. अनुसूचित जाति (महिला)
41. अनारक्षित
42. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)
43. अनारक्षित
44. अनारक्षित
45. अनारक्षित (महिला)
46. पिछड़ा वर्ग
47. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
48. अनुसूचित जाति
49. अनारक्षित (महिला)
50. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
51. अनारक्षित
52. पिछड़े वर्गों की महिला
53. अनारक्षित
54. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
55. अनारक्षित (महिला)
56. अनुसूचित जाति
57. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
58. पिछड़ा वर्ग
59. अनारक्षित
60. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)
61. अनारक्षित (महिला)
62. अनुसूचित जाति (महिला)
63. अनारक्षित
64. पिछड़ा वर्ग (महिला)
65. अनारक्षित
66. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
67. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)
68. अनुसूचित जाति
69. अनारक्षित
70. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
71. अनारक्षित
72. पिछड़ा वर्ग
73. अनारक्षित (महिला)
74. अनुसूचित जाति
75. अनारक्षित
76. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)
77. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
78. अनुसूचित जाति (महिला)
79. अनारक्षित (महिला)
80. पिछड़ा वर्ग
81. अनारक्षित
82. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
83. अनारक्षित
84. पिछड़े वर्गों की महिला
85. अनारक्षित (महिला)
86. अनुसूचित जाति
87. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
88. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
89. अनारक्षित
90. पिछड़ा वर्ग (महिला)
91. अनारक्षित (महिला)
92. अनुसूचित जाति
93. अनारक्षित
94. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)
95. अनारक्षित
96. पिछड़ा वर्ग
97. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (महिला)
98. अनुसूचित जाति (महिला)
99. अनारक्षित
100. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (महिला)

26 फरवरी 2019

सं० 11/आ०नी०-I-03/2019-2623/ सा०प्र०, अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक 26 फरवरी 2019 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

The 26th February 2019

No. 11/Aa.Ni.-I-03/2019-2622/Sa.Pra.—In exercise of powers conferred by section 10 of The Bihar Reservation in vacancies in posts and services and in Admissions in the Educational Institutions (For Economically Weaker Sections) Act, 2019 the State Government makes the following rules for providing 10% reservation for Economically Weaker Sections and for implementation of the provisions of the said Act.-

1. Short title, extent and commencement.— (1) These rules may be called "The Bihar Reservation in Vacancies of Posts and Services and in Admissions in the Educational Institutions (for Economically Weaker Sections) Rules, 2019".

(2) It shall extend to whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. Definitions .- In these rules, unless the context otherwise requires -

(a) "Appointing authority/competent authority" means in relation to services or posts in an establishment, an authority empowered to make appointment/a person who is responsible for admission in educational institutions.

(b) "Prescribed" means prescribed by rules made under the Act and published in the Official Gazette ;

(c) "Establishment" means any office or departments of the state concerned with the appointment to the public service and post in connection with the affairs of the state and includes-

(1) A local or statutory authorities constituted under any state Act for the time being in force, or

(2) a cooperative institution registered under the Bihar Co-operative society Act, 1935 (Act 6,1935) in which share is held by the State Government or which receives aid from the State Government in terms of loan, grant, subsidy etc. and

(3) Universities and colleges affiliated to the universities, primary, secondary and High Schools and also other educational institutions which are owned or aided by the State Government, and

(4) an establishment in public sector.

(d) "Establishment in public sector" means any industry, trade, business or occupations owned, controlled or managed by –

(1) The State Government or any department of the State Government.

(2) A Government Company as defined in section 617 of the Company Act 1956 (Act, 1 of the 1956) or a corporation established by or under a Central or State Act, in which not less than 51% of the paid-up share capital is held by the State Government.

- (e) “*Economically Weaker Sections*” means a person belonging to Economically Weaker Section as defined in the office Memorandum F. No. 36039/1/2019-Estt. (Res.) dated 19.01.2019 of D.O.P.T., Ministry of Personnel and Public Grievances and Pension, Government of India and as may be amended in future from time to time accordingly.
- (f) “*Recruitment year*” means the calendar year during which a recruitment/admission is actually to be made.
- (g) “*Reservation*” means reservation for Economically Weaker Sections in vacancies of posts and services in the State of Bihar and in the admissions in educational institutions.
- (h) “*Merit list*” means the list of candidates arranged in order of merit prepared according to the provisions of this Act and orders as may be applicable for making appointments or for admission in educational institutions.
- (i) “*State*” includes the Government, the Legislature and Judiciary of the State of Bihar and all local or other authorities and all type of Educational Institutions within the State or under the control of the State Government.
- (j) “*Family*” for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.
- (k) “*Schedule*” means the schedule attached with this rule.

3. Parameters of Economically Weaker Sections for the purpose of direct recruitment and in the admission in educational institutions. -

- (1) Persons who are not covered under the scheme of reservation for SCs, STs, EBCs and BCs and whose family has Gross Annual Income below Rs. 8.00 lakh (Rupees eight lakh only) are to be identified as EWSs for benefit of reservation. Income shall also include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc. for the financial year prior to the year of application.
- (2) Also persons whose family owns or possesses any of the following assets shall be excluded from being identified as EWS, irrespective of the family income. –
- (i) 5 acres of agricultural land and above;
 - (ii) Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
 - (iii) Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
 - (iv) Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

The property held by a "Family" in different locations or different places/cities would be clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

The term "Family" for this purpose will include the person who seeks benefit or reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

4. Certificate of Economically Weaker Sections and not possessing any of the asset mentioned in rule 3(2) will be issued by District Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Circle Officer concerned in the prescribed Scheduled-I (format-I). The concerned officer, prior to issuing the said certificate, will take an affidavit from the candidate in which a declaration by the candidates that, his family does not possess any other assets except in the concerned circle or even adding the assets located at different places, he falls under the Economically Weaker Sections. The declaration format is enclosed as Scheduled-II (format-II).

5. *Validity.*— Validity of income and assets certificate will be of one year from the date of issue.

6. *Verification.*— The appointment/admission under Economically Weaker Sections quota will be provisional and subject to the income and assets certificate being verified. If the verification reveals that the certificate produced by the candidate is fake/false, the service/admission will be terminated without assigning any further reasons and without prejudice to further action as may be taken under the provisions of Indian Penal Code for the production of fake and false certificate.

7. *Exchange.*— If in any recruitment year or admission for a session, candidates from Economically Weaker Sections are not available to the extent of the reservation percentage prescribed under this Rule to be filled up by the reserved category, rest of the vacancies/seats shall be filled up by the candidates of open merit category in the same transaction or recruitment year.

8. *Roster.*— A hundred point model roster will be followed for providing reservation under Economically Weaker Sections as given in schedule-III.

9. *Removal of difficulties.*— If any difficulty arises in given effect to the provisions of this Rule, the State Government may take such steps or issue such orders not inconsistent with the provisions of this Act and as it may consider necessary for removing the difficulty.

By order of the Government of Bihar,
Rajendra Ram,
Additional Secretary to the Government.

Schedule-I**(Form-I)****Government of****(Name & Address of the authority issuing the certificate)****INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS**

Certificate No. _____

Date: _____

VALID FOR THE YEAR _____

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____
 son/daughter/wife of _____ permanent resident
 fo _____, Village/Street _____ Post Office _____
 District _____ in the State _____ Pin Code _____ whose
 photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual
 income* of his/her "family"** is below Rs. 8 lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial
 year _____. His/her family does not own or possess any of the following assets***:

- i. 5 acres of agricultural land and above;
- ii. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- iii. Residential plot of 100 sq. yards and above in notifies municipalities;
- iv. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari _____ belongs to the _____ caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (State list).

Signature with seal of Office _____

Name _____

Designation _____

<p>Recent Passport size attested photograph of the applicant.</p>

*Note 1 : Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession, etc.

**Note 2: The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

***Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

Schedule-II
(Format-II)

Self declaration form for getting benefit of E.W.Ss

Self declaration form

I _____ son/daughter/wife of _____
vill/town _____ Post Office _____ Police Station _____
Block _____ Sub-div. _____ District _____ State _____ have
applied for certificate of E.W.Ss, hereby declare that :-

1. I belong to _____ caste. Which is not enlisted under the state list of EBC, BC, SC & ST.
2. My family's gross annual income from all sources (salary, agriculture, business, profession) is Rs. _____ (in words) _____.
3. My family has asset in circle _____ (Name of the Circle). Except this asset, my family does not posses any other asset.

or

even after adding assets of different locations of my family, I fall under the E.W.Ss.

4. I hereby declare that after adding all the assets of my family, it does not exceed from any of the following :-
 - i. 5 acres of agricultural land and above;
 - ii. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
 - iii. Residential plot of 100 sq. yards and above in notifies municipalities;
 - iv. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

I certify that the information given by me is true to my best knowledge and belief and I am eligible for getting reservation under E.W.Ss. If any information given by me is found to be false/fake, I am fully aware that the admission/appointment or any other benefit on the basis of fake/false E.W.Ss. Certificate, will be canceled and I would be held responsible for any legal action against me according to rules.

Signature of applicant

Place _____

Date _____

Schedule-III

100 Points Model Roster in the light of 10% Reservation for E.W.Ss :-

- | | |
|---|---|
| 1. Unreserved | 51. Unreserved |
| 2. Extremely Backward Class | 52. Backward Class (Female) |
| 3. Unreserved (Female) | 53. Unreserved |
| 4. Scheduled Caste | 54. Extremely Backward Class |
| 5. Unreserved | 55. Unreserved (Female) |
| 6. Backward Class | 56. Scheduled Caste |
| 7. Economically Weaker Sections | 57. Economically Weaker Sections |
| 8. Extremely Backward Class (Female) | 58. Backward Class |
| 9. Unreserved (Female) | 59. Unreserved |
| 10. Scheduled Caste (Female) | 60. Extremely Backward Class (Female) |
| 11. Unreserved | 61. Unreserved (Female) |
| 12. Backward Class (Female) | 62. Scheduled Caste (Female) |
| 13. Unreserved | 63. Unreserved |
| 14. Extremely Backward Class | 64. Backward Class (Female) |
| 15. Unreserved (Female) | 65. Unreserved |
| 16. Scheduled Caste | 66. Extremely Backward Class |
| 17. Economically Weaker Sections | 67. Economically Weaker Sections (Female) |
| 18. Backward Class (Female) | 68. Scheduled Caste |
| 19. Scheduled Tribe | 69. Unreserved |
| 20. Extremely Backward Class | 70. Extremely Backward Class |
| 21. Unreserved (Female) | 71. Unreserved |
| 22. Backward Class | 72. Backward Class |
| 23. Unreserved | 73. Unreserved (Female) |
| 24. Scheduled Caste (Female) | 74. Scheduled Caste |
| 25. Unreserved | 75. Unreserved |
| 26. Extremely Backward Class (Female) | 76. Extremely Backward Class (Female) |
| 27. Economically Weaker Sections (Female) | 77. Economically Weaker Sections |
| 28. Scheduled Caste | 78. Scheduled Caste (Female) |
| 29. Unreserved | 79. Unreserved (Female) |
| 30. Backward Class | 80. Backward Class |
| 31. Unreserved | 81. Unreserved |
| 32. Extremely Backward Class | 82. Extremely Backward Class |
| 33. Unreserved (Female) | 83. Unreserved |
| 34. Scheduled Caste | 84. Backward Class (Female) |
| 35. Unreserved | 85. Unreserved (Female) |
| 36. Extremely Backward Class | 86. Scheduled Caste |
| 37. Economically Weaker Sections | 87. Economically Weaker Sections |
| 38. Backward Class (Female) | 88. Extremely Backward Class |
| 39. Unreserved (Female) | 89. Unreserved |
| 40. Scheduled Caste (Female) | 90. Backward Class (Female) |
| 41. Unreserved | 91. Unreserved (Female) |
| 42. Extremely Backward Class (Female) | 92. Scheduled Caste |
| 43. Unreserved | 93. Unreserved |
| 44. Unreserved | 94. Extremely Backward Class (Female) |
| 45. Unreserved (Female) | 95. Unreserved |
| 46. Backward Class | 96. Backward Class |
| 47. Economically Weaker Sections | 97. Economically Weaker Sections (Female) |
| 48. Scheduled Caste | 98. Scheduled Caste (Female) |
| 49. Unreserved (Female) | 99. Unreserved |
| 50. Extremely Backward Class | 100. Extremely Backward Class (Female) |

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 284-571+10 डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>